TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART-II, SECTION 3, SUB SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
*****

New Delhi, the 9th December, 1999

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA (hereinafter referred to the said section) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following equity shares as long term specified securities for the purposes of the said section, equity shares to be issued within a period of one year and equity shares to be issued within a period of two year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for an amount not exceeding rupees four hundred crores and four hundred six crores respectively by M/s ASC Enterprises Limited, a public limited company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Ajanta Business Centre 8, Juhu Tara Road, Mumbai-400 049, for the purposes of the said section:

Provided that the investment in the aforesaid equity shares and investment specified in this notification, is made by an assessee out of net consideration arising out from transfer of long term capital asset in accordance with the provisions of the said section:

Provided further that in case the assessee transfers or converts (otherwise than by transfer) the aforesaid equity shares and investment specified in this notification, allotted to him in any manner within a period of seven years from the date of their allotment, the initial investment made by such assessee in the aforesaid equity shares and investment shall be chargeable to tax under the head "Capital Gain" in accordance with the provisions of the said-section.

( MONA M. VERMA )
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 11/64 ( F.NO. 178/5/97-ITA-I )

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 09 दिसंबर, 1999

अधिसूचना

(आय-कर)

का०आ० (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ड.क की उपधारा (1) (जिसे बाद में उक्त धारा कहा गया) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित इक्विटी शेयरों को दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है; मैसर्स ए.एस.सी. इन्टरप्राइजेज लि०, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक लि० कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अनन्ता विवेक सेंटर, 8 गुरु तारा रोड मुंबई-400049 में स्थित है, द्वारा क्रमशः चार सौ करोड़ रु० और चार सौ छः करोड़ रुपये से अनधिक की धनराशि के राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों और दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है।

बशर्ते कि किसी कर-निर्धारिती द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उक्त इक्विटी शेयरों और निवेश में निवेश उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल में से किया जाता हो;

बशर्ते यह भी कि यदि कोई कर-निर्धारिती उसको आवंटित इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त इक्विटी शेयरों तथा निवेश को उसके आबंटन की तारीख से 3 वर्ष के भीतर किसी भी रूप में रकम में अन्तरित अथवा परिवर्तित (अन्तरण के अलावा अन्यथा)

---2/-

करता है तो ऐसे कर-निर्धारिती द्वारा उक्त इक्विटी शेयरों और निवेश में (
किए गए आरंभिक निवेश पर उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार ( पूंजीगत अभिलाभ
के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा ।

मोना वर्मा

( मोना एम. वर्मा )

अवर सचिव, भारत सरकार

(फा0सं0 178/5/99- आयकर नि0 II)

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसंबर, 199

अधिसूचना

(आय-कर)

का0आ0 (अ) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 54 ड.क की उपधारा(1)(जिसे बाद में उक्त धारा कहा जाता है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित इक्विटी शेयरों को दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है; मैसर्स ए.एस.बी. इन्टरप्राइजेज लि0, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक लि0 कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अक्सा बिजनेस सेंटर, 8 जुहू तारा रोड, मुम्बई-400049 में स्थित है द्वारा क्रमशः चार सौ करोड़ रुपये और चार सौ छः करोड़ रुपये से अनधिक राशि की भारत के राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों और दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है।

बशर्ते कि किसी करनिर्धारिती द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उक्त इक्विटी शेयरों और निवेश में निवेश उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तरण से उद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल में से किया जाता हो ;

बशर्ते यह भी कि यदि कोई कर निर्धारिती उसको आवंटित इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त इक्विटी शेयरों तथा निवेश को उसके आवंटन की तारीख से 7 वर्ष के भीतर किसी भी रूप में धन में अन्तरित अथवा परिवर्तित(अन्तरण के अलावा अथवा) करता है तो ऐसे कर-

---2/-

करता है तो ऐसे कर-निर्धारिती द्वारा उक्त इक्विटी शेयरों और विवेश में किए गए आरंभिक निवेश पर उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा ।

मीना वर्मा

( मीना एम. वर्मा )

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 11/64 [फा.सं. 178/5/99- आयकर नि० I]

सेवा में,